जनरल मोहयाल सभा (जी.एम.एस) चुनाव - 2021

मतदाताओं के लिए दिशा निर्देश

- चुनाव समिति द्वारा प्राप्त नामांकन के बाद और नामांकन के आधार पर 'GMS प्रबंधन -समिति 2021' के चुनाव के लिए दावेदारों की एक सूची जीएमएस नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर 28 अप्रैल 2021 को अनुसूची के अनुसार प्रदर्शित की जाएगी। सभी मतदाताओं को तय कार्यक्रम के अनुसार मत-पत्र 12 मई 2021 को भेज दिया जाएगा।
- प्रत्येक पुरुष/महिला वोटर को चालीस (40) नामों के साथ दिए गए सर्कल (गोला) को गहरा करना है , जिसमें से न्यूनतम/कम से कम पांच (5) महिलाएं आवश्क होंगी । सर्कल (गोला) को गहराने लिए वह काली / नीली स्याही / बॉल पेन का उपयोग करके वोट करना होगा और बाकी सर्कल (गोला) खाली छोड़ दें, ज्यों का त्यों:

  नोट (i) यदि मतदाता, प्रतियोगियों के नाम के सामने दिए सर्कल (गोला) में से चालीस (40) से अधिक सर्कल (गोला) को गहरा करता है तो उसका मतपत्र अवैध माना जाएगा ... अर्थात अधिक से अधिक 40 गोला भरिये ।

  (ii) किसी भी बैलेट पेपर को विघटित/विकृत करने या उस पर ओवरराइटिंग आदि को भी अमान्य माना जाएगा। मतपत्र पर नाम या हस्ताक्षर का लेखन इसे अमान्य करार देगा।

  (iii) केवल चुनाव समिति द्वारा प्रमाणित और अग्रसारित मूल मतदान पत्र को स्वीकार किया जाएगा।

  (iv) एक विशेष प्रावधान के रूप में, विदेशों में बसे सभी विदेशी सदस्य ई-मेल के माध्यम से निर्वाचन अधिकारी (संयोजक) को भरे हुए प्रमाणित मतपत्र को अग्रेषित कर सकते हैं। इमेल आईडी rzdkkbali@gmail.com
- इस बार चुनाव समिति द्वारा बैलट पेपर की वापसी के लिए विभिन्न रंगों के तीन लिफाफे प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। मतपत्र में सर्कल को गहरा करने के बाद 'मतदाता' जैसा कि ऊपर पैरा 2 के तहत निर्धारित है .. नीचे उल्लेखित प्रक्रिया का पालन करेगा।

  <u>गोपनीयता बनाये रखते हुए मतपत्र को पूर्ण भरकर भेजने की प्रक्रिया</u>

  प्रथम :- पूरा बैलट पेपर जिसमें बाएं हाथ की तरफ विशिष्ट संख्या होगी , "मतपत्र कागज" के रूप में चिह्नित गुलाबी /PINK लिफाफे में डाला जाएगा और लिफाफा गोंद / टेप के साथ ठीक से बंद किया जाएगा। गुलाबी /PINK लिफाफा बंद करने से पहले कृपया अपना मतपत्र नंबर नोट करें।

  द्वितीय :- बैलट नंबर का संकेत देने के बाद पिंक लिफाफे को सफेद लिफाफे में डाला जाएगा । मतदाता अपने (क) मतदाता क्रमांक (जैसा कि वोटर को संबोधित लिफाफे पर दिया गया है) (ख)मतदाता प्रदान की गई जगह पर नाम और पता और हस्ताक्षर लिखेगा और गम / टेप के साथ लिफाफे को ठीक से बंद कर देगा।

  तृतीय :- अब सफेद लिफाफे (जिसमें पिंक लिफाफा है और पिंक लिफाफे में आपके द्वारा भरा हुआ मतपत्र है) को स्वयं -नामांकित और मोहर लगे हुए पीले लिफाफे में डाल कर और उसे गम /टेप द्वारा बंद कर के चुनाव अधिकारी (संयोजक) को 7 जून 2021 तक भेजना हैं ।
- पीला लिफाफे (जिसमें आपका सफेद लिफाफा, सफ़ेद में पिंक लिफाफा और पिंक लिफाफे में आप का मतपत्र है) को, जी.ऍम. एस सचिवालय में, रजिस्टर में एक प्रविष्टि करने के बाद, सभी कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, निर्वाचन समिति द्वारा विधिवत रूप से बंद और सील की गयी 'मतपत्र -पेटीका ' में स्वयं के हाथों द्वारा डाला जा सकता है।
- परिवार का मुखिया (या एक सदस्य) एक ही आवासीय पते वाले सगे-परिवार के सदस्यों के मतपत्र भी छोड़/डाल/जमा सकते है।
- प्राप्त हुए प्रत्येक बैलट पेपर को गुप्त माना जाएगा और और परिणामों की घोषणा के बाद बॉक्स में ही फिर से सील कर दिया जाएगा।

रायजादा के के बाली
चुनाव अधिकारी (संयोजक)

डॉ सुभाष दत्ता
सदस्य चुनाव समिति

ब्रिगेडियर अरुण बाली (सेवानिवृत्त)
सदस्य चुनाव समिति